

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्रांक...../

सं०सं०-०३/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति)-०२/२०१५

प्रेषक,

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

कोषागार पदाधिकारी,  
सचिवालय कोषागार,  
विकास भवन, पटना।

पटना, दिनांक.....

विषय :- राशि का प्रत्यर्पण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्यादेश सं०-२०६०, दिनांक-११.०६.१८ एवं आवंटन सं०-०५/DI-B(Allotment)-१६/२०१८, order no-१४८०, दिनांक-१३.०६.२०१८ द्वारा विपत्र कोड-२३-२८५२८०१०२०१६० के विषय शीर्ष-०१६०.३३.०१ सब्सिडी मद में प्राप्त स्वीकृत/आवंटित राशि ₹१८४७५.०० लाख में से राशि ₹१००००.०० लाख मात्र का प्रत्यार्पण किया जाता है।

प्रत्यार्पित प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ५.१२.१८

ज्ञापांक ५२९३...../

सं०सं०-०३/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति)-०२/२०१५

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक (तक०), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/उप उद्योग निदेशक, योजना, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-३(उ०नि०)/प्रशाखा-२(उ०नि०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

५/१२/१८